दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

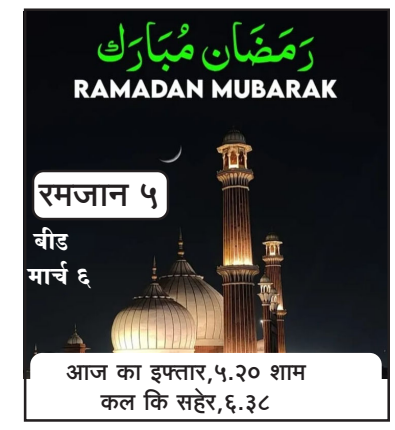

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२१३ वा | गुरूवार ६ मार्च २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रुपये | पन्ने - ४

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला-अब इनकम, जाति और निवास प्रमाणपत्र बिना स्टांप ड्यूटी के बनेंगे

मुंबई, ४ मार्च (अज़ीज़ अइजाज़) - महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में दाखिल किए जाने वाले हलफनामों पर ५०० रुपये की स्टांप ड्यूटी को खत्म करने का बड़ा फैसला किया है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की है कि अब महाराष्ट्र में जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र के लिए स्टांप ड्यूटी का भुगतान नहीं करना होगा।

राज्यभर में तुरंत लागू होगा फैसला

यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे राज्य के लाखों छात्रों और करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। अब कोई भी व्यक्ति साधारण कागज पर स्वयं सत्यापित (डशश्रष-रींशींशव) आवेदन लिखकर तहसील कार्यालय से प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेगा।

छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत

१०वीं और १२वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों और अभिभावकों को जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ३,००० से ४,००० रुपये तक खर्च करने पड़ते थे।

सरकारी कार्यालयों में विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ५०० रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिससे खासकर छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता था। अब इस स्टांप ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।

किन हलफनामों पर लागू होगा यह नियम?

राज्य सरकार का यह आदेश सभी प्रकार के हलफनामों पर लागू होगा, जिनमें शामिल हैं:

जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल), नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयता प्रमाणपत्र, सरकारी कार्यालयों में होगी नई प्रक्रिया

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस निर्णय को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब कोई भी नागरिक साधारण कागज पर स्वयं सत्यापित आवेदन लिखकर तहसील कार्यालय से ये प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।

यह फैसला सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम जनता को राहत देने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जालना के भोकरदन में कैलाश बोराडे पर हमला, दोषियों पर मकोका लगाने का फैसला मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद-एकनाथ शिंदे

मुंबई, ४ मार्च (अज़ीज़ अइजाज़) - जालना जिले के भोकरदन में कैलाश बोराडे पर हुआ हमला निंदनीय और मानवता का अपमान है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधान परिषद में कहा कि इस घटना के दोषियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाने का फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा के बाद किया जाएगा।

बोराडे पर हमला बेहद अमानवीय - उपमुख्यमंत्री

इस मुद्दे को विधान परिषद में सदस्य शशिकांत शिंदे ने उठाया। जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने जालना के पुलिस अधीक्षक से इस मामले में बात की है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जालना के पालक मंत्री जल्द ही घटनास्थल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि बोराडे के साथ हुई मारपीट अमानवीय थी, और इस घटना का वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

बोराडे को बेहतर इलाज के निर्देश

हमले में गंभीर रूप से घायल कैलाश बोराडे को पहले वाडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपमुख्यमंत्री ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए, और फिलहाल वे वहीं उपचाराधीन हैं।

एकनाथ शिंदे ने फोन पर बोराडे से बात कर उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी।

मकोका लगाने की प्रक्रिया गृह विभाग के जरिए होगी

शिंदे ने कहा कि इस घटना के दोषियों पर मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) लगाने की प्रक्रिया गृह विभाग के माध्यम से की जाएगी। सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी और पीड़ित के साथ न्याय किया जाएगा।

लाड़की बहन योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं-मंत्री अदिति तटकरे

मुंबई (जमीर काजी) - मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के पहले सरकारी आदेश में शामिल नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरी प्रक्रिया और कार्यवाही उन्हीं नियमों के अनुसार की जा रही है, यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी।

लाड़की बहन योजना के तहत कितनी महिलाओं को मिला लाभ?

विधान परिषद सदस्य अनिल परब द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री तटकरे ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं की पात्रता और अपात्रता तय की गई है, और उसी आधार पर आवेदनों की जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि २.६३ करोड़ महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया था, जिनमें से २.५२ करोड़ महिलाएं पात्र पाई गई हैं।

यह योजना २१ से ६५ वर्ष की महिलाओं के लिए लागू है, इसलिए ६५ वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। अब तक १.२० लाख महिलाएं उम्र की सीमा पार करने के कारण योजना से बाहर हो चुकी हैं।

२१०० रुपये देने का वादा कब पूरा होगा? - विपक्ष का सवाल

इस योजना को लेकर चर्चा के दौरान सदस्य सतेज पाटिल, अशोक जगताप और शशिकांत शिंदे ने सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि चुनावी वादे के अनुसार २१०० रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा कब पूरी होगी?

मंत्री अदिति तटकरे ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा फिलहाल २१०० रुपये तक की सम्मान निधि बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस संबंध में निर्णय आगामी बजट में लिया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरे राज्यों में विवाह के बाद स्थायी रूप से बसने वाली महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

लाड़की बहन योजना से महिलाओं के जीवन में आया बदलाव

राज्य सरकार ने बताया कि लगभग २.५ करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इस वजह से कई महिलाओं ने सरकार की सराहना की है।

मंत्री तटकरे ने दोहराया कि लाभार्थियों के आवेदनों की जांच एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए जो महिलाएं पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रही हैं, उन्हें आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा।

महापुरुषों का अपमान करने वालों की गिरफ्तारी की मांग, महाविकास आघाड़ी का जोरदार प्रदर्शन

मुंबई (विशेष प्रतिनिधि) - छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुरकर के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने आज विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने मांग की कि शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

राज्य में इतनी क्रूर हत्याएं करने का साहस कहां से आता है?-जयंत पाटील

मुंबई (विशेष प्रतिनिधि) - महाराष्ट्र में अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोगों पर निर्दयता से हमले किए जा रहे हैं और हत्याएं की जा रही हैं। आखिर यह साहस आता कहां से है? यह सवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार गुट) के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील ने बुधवार को उठाया।

बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए जयंत पाटील ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने के लिए जो वादे किए थे, उनका जिक्र राज्यपाल के भाषण में तक नहीं था। लेकिन, हमेशा की तरह दावोस से आने वाले निवेश और संभावित नौकरियों की ही चर्चा की गई।

तीन साल में ५० लाख नौकरियां कहां गईं?

जयंत पाटील ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में ५० लाख युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन बेरोजगारी और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने सरकार से पूछा कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बजाय, स्थानीय गुंडों से सुरक्षा देने की मांग क्यों हो रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि गुंडों का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक सभी को जबरन वसूली (खंडणी) देनी पड़ रही है। सरकार को राज्य में निर्भय वातावरण बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

लाड़की बहन योजना में अपात्रता - मतदाताओं की ठगी

जयंत पाटील ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने लाड़की बहन योजना से कई महिलाओं को अपात्र कर दिया है, जो मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी के समान है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद (ऋउझ) में १.२% गिर गया है। गुजरात से महाराष्ट्र पीछे क्यों? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकॉनमी एडवायजरी कमिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र गुजरात की तुलना में काफी पिछड़ गया है। एचएसआरपी के नाम पर महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है जयंत पाटील ने कहा कि वाहनों की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (कड्ठझ) अनिवार्य की गई है, लेकिन इस योजना में भी महाराष्ट्र के नागरिकों को लूटा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में तीन गुना ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर महाराष्ट्र के नागरिकों को लूटने का ठेका किसे दिया गया है? उन्होंने कड्ठझ घोटाले की तत्काल जांच और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

एनएएसी मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव की हवा

विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए बदलाव

पुणे: देशभर में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एनएएसी की मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब मूल्यांकन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। इस नई प्रक्रिया का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है।

राज्य में एनएएसी मूल्यांकन के लिए समिति गठित

एनएएसी मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायतों के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इसमें सुधार की पहल की है। अब संपूर्ण मूल्यांकन डिजिटल दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा, जो एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे।

इस बदलाव के तहत विश्वविद्यालयों का शारीरिक निरीक्षण (फिजिकल विजिट) पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की हेराफेरी की संभावना खत्म हो जाएगी। राज्य में नई प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है।

पूरी तरह डिजिटल दस्तावेज अनिवार्य अब एनएएसी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज, डेटा और रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इस डेटा के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन किया जाएगा और ग्रेड दिए जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, इस नई प्रणाली से विश्वविद्यालयों द्वारा मूल्यांकन टीम को प्रभावित करने और अनियमितताओं को अंजाम देने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी।

मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़े बदलाव

शिक्षाविदों का मानना है कि इस नई प्रणाली से विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग अधिक सटीक होगी और गलत तरीकों से उच्च ग्रेड प्राप्त करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।पहले मूल्यांकन टीमों द्वारा संस्थानों का दौरा किया जाता था, जिससे अनियमितताओं की गुंजाइश बनी रहती थी। अब ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण मूल्यांकन पूरी तरह निष्पक्ष होगा और संस्थानों को अपनी वास्तविक शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड प्राप्त करना होगा।

अब मूल्यांकन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन होगी

एनएएसी मूल्यांकन प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय कुलपति संघ के अध्यक्ष डॉ. कर्बहारी काले ने कहा कि इस बदलाव से देश में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सकता है।उन्होंने जोर देकर कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि विश्वविद्यालयों को उच्च शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

एनएएसी मूल्यांकन प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव उच्च शिक्षा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल वास्तव में योग्य संस्थानों को उच्च प्रत्यायन ग्रेड मिलें।

नई दिल्ली ,दिल्ली की मुखयमंत्री ना.रेखा गुप्ता को उनके शालीमार स्थित निवास पर माहे रमजान की मुबारकबाद एवं मुबारक रोजो की मक़सदीयत (उद्देश्य)बताते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के पूर्व सदस्य एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री शैख़ अब्दुल करीम साथ मे विश्व भाईचारा टाइम्स के प्रधान संपादक डॉ मोहमद बिलाल.

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वो साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

भाजपा के मंत्री पर महिला को नग्न तस्वीरें भेजने का आरोप, राज्यपाल से शिकायत

मुंबई (जमीर काज़ी) - धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद महायुती सरकार के एक और मंत्री विवादों में फंस गए हैं। सोलापुर जिले के पालक मंत्री और कैबिनेट मंत्री जयकुमार गोरे पर एक महिला को नग्न तस्वीरें भेजने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने राज्यपाल से इस मामले की शिकायत की है और चेतावनी दी है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला, तो वह १७ मार्च से विधानसभा के सामने आंदोलन करेगी।

मुख्यमंत्री अपने मंत्री पर कार्रवाई करें - संजय राउत

ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने मंत्री जयकुमार गोरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपने लाडले मंत्री पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। राउत ने दावा किया कि एक महिला ने खुद इस प्रकरण का खुलासा किया है।

उन्होंने कहा कि सरसेनापति हंबीरराव मोहिते के परिवार की एक महिला को मंत्री ने प्रताड़ित किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। यह महिला जल्द ही विधान भवन के सामने अनशन पर बैठने वाली है।

संजय राउत ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा, भाजपा की महिला मोर्चा पदाधिकारी इस पर क्यों नहीं बोल रहीं? सभी दलों की महिला नेता और विधायक चुप क्यों हैं? महिला आयोग कहां है?

उन्होंने आगे कहा कि कल भाजपा ने अबू आजमी के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन अपने ही मंत्रियों पर चुप्पी साधे हुए है।

भाजपा को अपने मंत्रियों पर ध्यान देना चाहिए - विजय वडेट्टीवार

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि एक मंत्री पहले जेल जाता है, फिर बाहर आकर महिला को परेशान करता है, मंत्री बनने के बाद भी उसका पीछा करता है।

उन्होंने कहा कि पहली महिला राष्ट्रपति की जमीन हड़पने वाला यह मंत्री अब महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा है। धनंजय मुंडे के बाद अब कोकाटे के इस्तीफे की बारी है।

वडेट्टीवार ने कहा कि भाजपा अबू आजमी और अन्य मुद्दों पर बहस कर असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है।

क्या है पूरा मामला?

सातारा जिले के माण-खटाव विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयकुमार गोरे पर २०१६ से एक महिला को परेशान करने का आरोप है। पीड़िता ने कहा कि उसे सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वह सरसेनापति हंबीरराव मोहिते के वंशजों में से एक है।

आरोप बेबुनियाद, मैं विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाऊंगा - जयकुमार गोरे

इस बीच, मंत्री जयकुमार गोरे ने सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि यह मामला मेरी छवि खराब करने के लिए फिर से उछाला गया है।

गोरे ने ऐलान किया कि मैं इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (झीळींळश्रशसश चेंींळेप) लाने जा रहा हूं।

भाजपा पर विपक्ष का तीखा हमला

इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। विपक्ष ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे महिला विरोधी सरकार करार दिया है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।

पतंजलि की नई पहल: नागपुर में शुरू होगा 'मेगा फूड एंड हर्बल पार्क', १० हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

मुंबई। प्रतिनिधी

महाराष्ट्र में नागपुर के मिहान (नागपुर में मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट) क्षेत्र में 'पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क' की शुरूआत होने जा रही है. ९ मार्च २०२५ से इस प्लांट का परिचालन शुरू हो जाएगा. मिहान में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि पूजन का काम साल २०१६ के सितंबर महीने में किया गया था.

रोजगार सृजन में पतंजलि नागपुर प्लांट के माध्यम से पतंजलि अभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग ५०० लोगों को रोजगार प्रदान किया है. जैसे-जैसे कार्य विस्तार लेगा वैसे-वैसे यह संख्या तेजी से बढ़ेगी. जल्द ही इस प्लांट से १० हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा.

पतंजलि ने नागपुर में ही क्यों स्थापित किया ये प्लांट?

नागपुर में स्थापित होने वाला पतंजलि का यह फ्रूट्स एण्ड वैजीटेबल्स प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसमें सिटरस और ट्रॉपिकल फल-सब्जियों को प्रोसेस करके जूस, जूस कन्संट्रेट, पल्प, पेस्ट और प्यूरी का उत्पादन कर सकते हैं. नागपुर पूरे विश्व में ऑरेंज सिटी के नाम से विख्यात है, यहां सिटरस फ्रूट्स जैसे संतरा, कीनू, मौसम्मी, नींबू इत्यादि की बहुलता है.

इसको दृष्टिगत रखते हुए पतंजलि ने सिटरस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है. इस सिटरस प्रोसेसिंग प्लांट में प्रतिदिन ८०० टन फ्रूट प्रोसेस करके फ्रोजन जूस कन्संट्रेट बना सकते हैं. यह जूस १०० प्रतिशत प्राकृतिक है और इसमें किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव या शुगर का प्रयोग नहीं किया जाता. इसके साथ-साथ ट्रॉपिकल फ्रूट्स का भी प्रसंस्करण किया जाता है.

इसमें आंवला प्रतिदिन ६०० टन, आम प्रतिदिन ४०० टन, अमरूद प्रतिदिन २०० टन, पपीता प्रतिदिन २०० टन, सेब प्रतिदिन २०० टन, अनार प्रतिदिन २०० टन, स्ट्रॉबेरी प्रतिदिन २०० टन, प्लम प्रतिदिन २०० टन, नाशपाती प्रतिदिन २०० टन, टमाटर प्रतिदिन ४०० टन, लौकी प्रतिदिन ४०० टन, करेला प्रतिदिन ४०० टन, गाजर १६० टन, और एलोविरा १०० टन प्रतिदिन टन प्रोसेस करके वैश्विक विनिर्देश के अनुसार जूस, जूस कन्संट्रेट, पल्प, पेस्ट और प्यूरी का उत्पादन कर सकते हैं. इस प्रक्रिया को प्राइमरी प्रोसेसिंग कहते हैं.टेट्रा पैक यूनिट भी की जाएगी स्थापितइसके साथ ही रीटेल पैकिंग की प्रक्रिया को सेकेंडरी प्रोसेसिंग कहते हैं. इसके लिए नागपुर फैक्ट्री में टेट्रा पैक यूनिट भी स्थापित की जाएगी. पतंजलि लोगों को आरोग्य प्रदान करती है. उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टैट्रा पैक एसेप्टिक पैकेजिंग में किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव या शुगर प्रयोग न करते हुए प्रीमियम सैगमेंट में उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं.

संतरे से जूस निकालने के बाद छिलके का भी होता है इस्तेमाल

पतंजलि के इस प्लांट की एक और यूएसपी है जिसमें बाय प्रोटेक्ट को वेस्ट नहीं जाने दिया जाता. जैसे संतरे से जूस निकालने के बाद इसके छिलके का पूरा प्रयोग किया है. इसके छिलके में एक कोल्ड प्रेस तेल (उझज) होता है जिसकी बाजार में काफी मांग है. इसके अलावा नागपुर ऑरेंज बर्फी में रॉ-मैटिरियल के रूप में प्रयोग होने वाला प्रीमियम पल्प भी पतंजलि संतरे से निकाल रहे हैं.

इसके साथ ही ऑयल बेस्ड अरोमा और वाटर बेस्ड अरोमा एसेंस भी निकाल रहे हैं. कॉस्मेटिक और अन्य वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए संतरे के छिलके का पाउडर प्रयोग किया जाता है, इसके लिए संतरे के छिलके को ड्राइ करके पाऊडर भी बना रहे हैं. ऐसा कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं है जिसे रिकवर न किया जा रहा हो.

युवा वकीलों की न्याय के लिए संघर्ष: ७ साल बाद कैदी को मिली रिहाई

बीड (काजी मुजीब कि रिपोर्ट)

एडवोकेट साजिद डब्ल्यू. खान और एडवोकेट सैयद हसीब अख्तर इन दो युवा वकीलों ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाया है। यह व्यक्ति छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक विशेष मकोका केस में झूठे आरोपों में फंसा था और आर्थिक मदद या संसाधनों के अभाव में पिछले सात साल से जेल में बंद था।

मुफ्त कानूनी मदद से मिली रिहाई

इस अन्याय को देखकर एडवोकेट साजिद खान और एडवोकेट सैयद हसीब ने उसकी अपील मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में प्रॉ बोनो (बिना किसी शुल्क के) दाखिल की।

इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश वाघोसे ने इस विशेष मकोका केस में दी गई सजा को निलंबित करने का आदेश दिया, जिससे यह निर्दोष व्यक्ति ७ साल बाद रिहा हो सकेगा और दोबारा आजादी की सांस ले सकेगा।

युवा वकीलों की लगन ने दिलाया न्याय

यह फैसला युवा वकीलों की न्याय

के प्रति प्रतिबद्धता और संघर्ष का प्रतीक है। यह उन लोगों के लिए आशा की किरण है, जो आर्थिक तंगी या संसाधनों की कमी के कारण न्याय से वंचित रह जाते हैं। एडवोकेट साजिद डब्ल्यू. खान और एडवोकेट सैयद हसीब अख्तर के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि न्याय की लड़ाई का मिशन था। उनकी सामाजिक सेवा ने यह साबित कर दिया कि कानून सिर्फ प्रभावशाली लोगों के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए है। बीड़ के लिए गर्व की बात! एडवोकेट सैयद हसीब अख्तर बीड़ शहर के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता, औरंगाबाद में डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के अनौपचारिक सदस्य और तंज़ीम तरक्की उर्दू के बीड़ जिला अध्यक्ष सैयद हुसैन अख्तर के पुत्र हैं।

बचपन से ही उन्होंने सामाजिक सेवा का जज्बा अपने परिवार से सीखा और इस केस को बिना किसी शुल्क के लड़कर इस परंपरा को आगे बढ़ाया।

यह फैसला बीड़ के लिए गर्व और सम्मान की बात है, जिससे साबित हुआ कि युवा वकील ईमानदारी और मेहनत से न्याय दिलाने की दिशा में नई मिसाल कायम कर सकते हैं।

औरंगजेब का महिमामंडन करने वाले अबु आजमी जाएंगे जेल, महाराष्ट्र विधान परिषद में देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान

मुंबई। प्रतिनिधी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सपा विधायक अबु आजमी को जेल भेजने की बात कही। अबु आजमी को औरंगजेब की प्रशंसा के कारण विधानसभा से निलंबित किया गया है। मामला औरंजजेब के गुणगान करने से जुड़ा है। अबु आजमी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से विधायक हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अबु आजमी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विधान परिषद में कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबु आसिम आजमी को सौ फीसदी जेल में डाला जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके योद्धा-पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है।

अबु आजमी को मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किया गया है।

बजट सत्र के समाप्त होने तक विधानसभा से निलंबित किए गए आजमी ने कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्हें विवादास्पद टिप्पणी वापस लेने के बावजूद दंडित किया गया है। बजट सत्र २६ मार्च को समाप्त होगा।

अंबादास दानवे ने उठाया सवाल

विधान परिषद में विपक्ष के नेता और उद्धव ठाकरे शिवसेना के सदस्य अंबादास दानवे ने फडणवीस से पूछा

कि आजमी को उनकी टिप्पणी के लिए जेल क्यों नहीं भेजा गया? इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई के मानखुर्द-शिवाजी नगर से विधायक आजमी को शत प्रतिशत जेल में डाला जाएगा।

उद्धव ठाकरे भी अबु आजमी के खिलाफ

शिवसेना के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को भी राष्ट्रीय नायकों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठाकरे ने मांग की कि उन्हें (आजमी को) स्थायी रूप से (विधानसभा से) निलंबित किया जाना चाहिए।

अबु आजमी ने जारी किया वीडियो

इधर अबु आजमी के कार्यालय से एक वीडियो बयान में समाजवादी पार्टी के नेता ने दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, लेकिन सदन में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने विधानसभा के बाहर की गई टिप्पणियों को वापस ले लिया। उन्होंने कहा, 'फिर भी मुझे निलंबित कर दिया गया।'

अबु आजमी ने औरंगजेब पर क्या कहा?

अबु आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा (म्यांमा) तक फैली हुई थी। हमारी जीडीपी (विश्व जीडीपी का) २४ प्रतिशत थी और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। औरंगजेब और मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के बीच लड़ाई के बारे में पूछे जाने पर आजमी ने इसे राजनीतिक लड़ाई करार दिया।

ऐसे बढ़ा विवाद

सपा विधायक की टिप्पणियों के चलते मंगलवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उनके निलंबन और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। बुधवार को यह मुद्दा विधान परिषद में भी उठा, जहां विपक्ष ने अभिनेता राहुल सोलापुरकर और पूर्व पत्रकार प्रशांत कोराटकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जो राष्ट्रीय नायकों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए आलोचना का सामना कर रहे हैं।

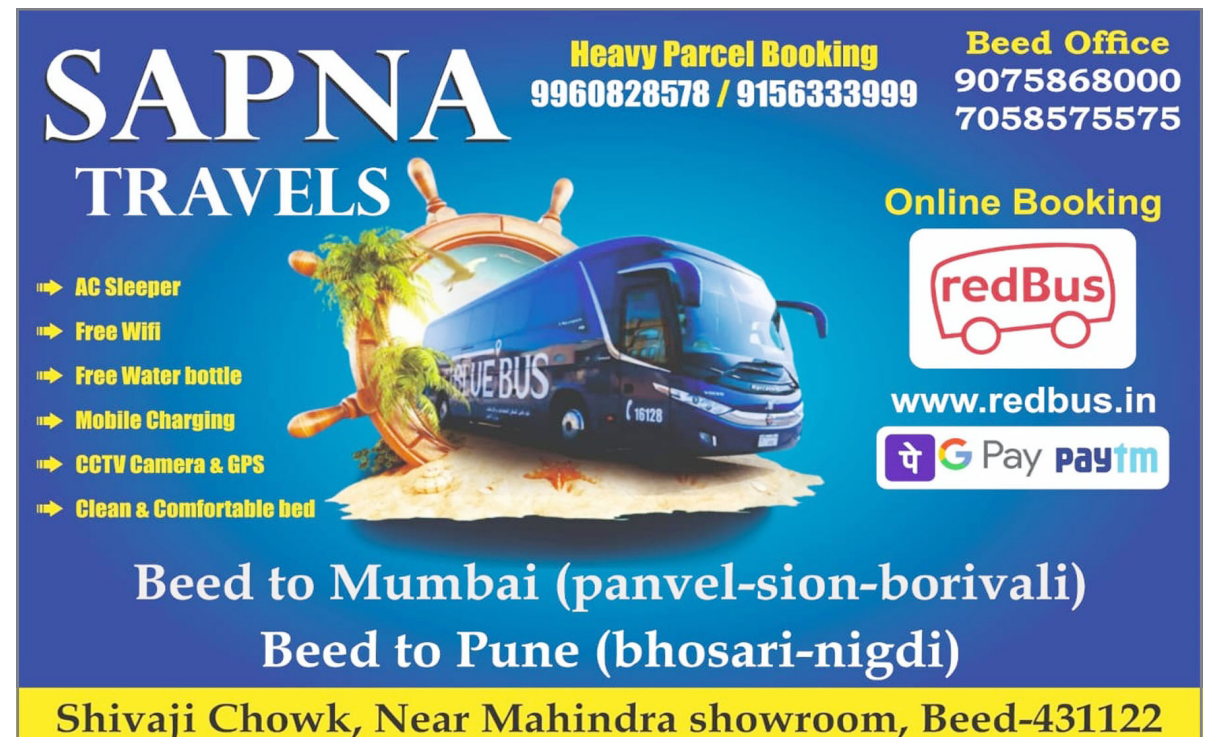

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com